छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 1139/2007</u>

श्री सुनील नन्दी,
चौबे एसोसिएट्स,
सिटी कोतवाली के पीछे,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, डी.के.एस.भवन रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 15 मई 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुनील नन्दी ने सूचना प्राप्त करने के लिये जन सूचना अधिकारी, राजभवन, रायपुर को आवेदन दिनांक 23–05–2007 को प्रस्तुत किया था। जन सूचना अधिकारी द्वारा वह आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित होने के कारण जन सूचना अधिकारी, राजस्व विभाग को दिनांक 26–05–2007 को हस्तांतरित कर दिया था। फिर भी उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजभवन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 07–09–2007 के द्वारा निरस्त किया गया और उस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 23–11–2007 को प्रस्तुत की है।

2/ प्रकरण में रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में राजभवन के प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश 07–09–2007 को पारित किया है, वह अपने स्थान पर सही है, क्योंकि वहां के जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका था और उन्हीं के द्वारा जानकारी प्रदान करनी थी। चूँकि शासन मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियमों के अनुसार राज्यपाल महोदय के नाम से कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा ही निष्पादित की जाती है। अतः उनके द्वारा दिया गया निर्णय अपने स्थान पर सही है। जहाँ तक राजस्व विभाग द्वारा अंतरित किये जाने पर कलेक्टर (नजूल शाखा), दुर्ग द्वारा जो जानकारी दिनांक 07–10–2007 के द्वारा दी गई है, उसके बारे में अपीलार्थी का तर्क है कि वह असंगत है, जबकि इसे असंगत मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा जानकारी में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–11 एवं 17 के तहत कार्यवाही होना बताया है और राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4–1 की कण्डिका–28 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही होना बताया है। अतः उस संबंध में भी स्थिति स्पष्ट है और जानकारी सही दी जाना प्रतीत होती है, क्योंकि उक्त धाराओं के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त कलेक्टर कर सकते हैं। फिर भी यदि अपीलार्थी को

किसी प्रकार की शंका है तो वह अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित किसी नजूल के पट्टे को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर देख सकते हैं और उस संबंध में सक्षम न्यायालय का निर्णय ही इस बिन्दु पर अंतिम निर्णय कर सकता है। अतः अपीलार्थी के उक्त अपील में कोई बल नहीं होने के कारण यह स्वीकार योग्य नहीं है। किन्तु फिर भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दु के संबंध में विधि विभाग से परामर्श कर लें और यदि उनके द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त अधिसूचना की आवश्यकता समझी जाती है तो उस संबंध में परामर्श अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की उक्त अपील निरस्त की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त